उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- 8/2018/1918/एक-1-2018-रा0-1

लखनऊ: दिनॉक: 16 अक्टूबर, 2018

<u>अधिसूचना</u>

जिलाधिकारी, सोनभद्र के पत्र संख्या-913(1-4)/डी0एल0आर0सी0-म्यो0ह0प0वि0/2018 दिनांक-25/06/2018 के आलोक में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम म्योरपुर परगना व तहसील दुद्धी जनपद-सोनभद्र स्थित सार्वजनिक उपयोग बांध खाते के रूप में दर्ज भूमि गाटा संख्या-182मि0 रकबा 0.1370 हे0, 795क रकबा 0.0320हे0 व 796क रकबा 0.0510हे0 कुल 03 गाटा कुल रकबा 0.2200हे0 के सशुल्क श्रेणी परिवर्तन तथा उसी ग्राम के बंजर खाते में दर्ज भूमि गाटा संख्या-120ख रकबा 0.110हे0 व 680ग मि0 रकबा 0.1090हे0 कुल 02 गाटा कुल रकबा 0.2200हे0 को बांध श्रेणी-6(4) के रूप में दर्ज करने तथा उक्त् संहिता की धारा-59 की उपधारा-4(ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर म्योरपुर हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु पुनर्ग्रहीत कर नागरिक उड्डयन विभाग उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1)- ग्राम म्योरपुर परगना व तहसील दुद्धी जनपद-सोनभद्र स्थित सार्वजनिक उपयोग बांध खाते के रूप में दर्ज भूमि गाटा संख्या-182मि0 रकबा 0.1370 हे0, 795क रकबा 0.0320हे0 व 796क रकबा 0.0510हे0 कुल 03 गाटा कुल रकबा 0.2200हे0 के सशुल्क श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन विभाग से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक ''0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियां'' के नाम जमा कराया जायेगा।

(3)- ग्राम म्योरपुर परगना व तहसील दुद्धी जनपद-सोनभद्र स्थित सार्वजनिक उपयोग बांध खाते के रूप में दर्ज भूमि गाटा संख्या-182मि0 रकबा 0.1370 हे0, 795क रकबा 0.0320हे0 व 796क रकबा 0.0510हे0 कुल 03 गाटा कुल रकबा 0.2200हे0 के सशुल्क श्रेणी परिवर्तन के पश्चात उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण कर म्योरपुर हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखा जायेगा। नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक- 03/06/2016 के प्रस्तर-4(1)(ग) में वर्णित व्यवस्था के अनुसार भूमि का मूल्य व वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

-2-

(4)- कलेक्टर द्वारा ग्राम म्योरपुर परगना व तहसील दुद्धी जनपद-सोनभद्र स्थित बंजर खाते में दर्ज भूमि गाटा संख्या-120ख रकबा 0.110हे0 व 680ग मि0 रकबा 0.1090हे0 कुल 02 गाटा कुल रकबा 0.2200हे0 को बांध श्रेणी-6(4) के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

(5)- लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जायेगा।

(6)- कलेक्टर कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव

संख्या-1918 (1)/ एक-1-2018-रा0-1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- आयुक्त मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर।

4- जिलाधिकारी, सोनभद्र को उनके पत्र संख्या-913(1-4)/डी0एल0आर0सी0-म्यो0ह0प0वि0/2018 दिनांक-25/06/2018 के आलोक में।

5- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर उसकी 10 मुद्रित प्रतियां राजस्व अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराएं।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0वी0 सिंह)
संयुक्त सचिव